सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 159/2017 (2017/00191)

वादीगण

1. हरिसिंह पुत्र श्री रिधसिंह जाति राजपूत उम्र 66 वर्ष निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
2. पृथ्वीसिंह (पृथ्वीराज सिंह) पुत्र श्री मनोहरसिंह जाति राजपूत उम्र 61 वर्ष निवासी कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री श्रवणसिंह
3. राजेश कंवर पत्नी श्री प्रवीणसिंह
4. सन्तोष कंवर पत्नी श्री जितेन्द्रसिंह
   जाति समस्त राजपूत निवासियान ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामन सिटी।
5. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री प्रेमकुमार जाति जाट निवासी ग्राम चिनहरिपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर, राजस्थान।
6. भंवरलाल पुत्र श्री बुधाराम जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा हाल निवासी झालरा रोड़, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।
7. मैनेजर, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कुचामन सिटी।
8. उप पंजीयक कुचामन सिटी।
9. तहसीलदार, कुचामन सिटी (लेण्ड होल्डर)

दावा अधिकारों की घोषणा, बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत
अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955
उपस्थित :– श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री अशोक पुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2 व 6 की ओर से

निर्णय

दिनांक: 04/04/2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का रूपपुरा टोरडा की सरहद में सरहद में स्थित गत खसरा नं. 102/1 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नं. 102/2 रकबा 66 बीघा 17 बिस्वा अवस्थित

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रही जिसमें से गत खसरा नं. 102/2 रकबा 66 बीघा 17 बिस्वा खातेदारी मानसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रूपपुरा के नाम थी।

वादी सं. 1 हरिसिंह ने तत्कालीन खातेदार मानसिंह पुत्र प्रतापसिंह से जरिए पंजीकृत बेचान दिनांक उपरोक्त गत खसरा नं. 102/2 कुल रकबा 66 बीघा 17 बिस्वा में से 40 बीघा भूमि जरिए पंजीकृत बेचान दिनांक 09/02/1974 को खरीद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया एवं आज भी काबिज है।

वादी सं. 2 पृथ्वीराज सिंह ने तत्कालीन खातेदार मानसिंह पुत्र प्रतापसिंह से जरिए पंजीकृत बेचान उपरोक्त खसरा नं. 102/2 कुल रकबा 66 बीघा 17 बिस्वा में से 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि दिनांक 31/08/1987 को खरीद की जिसका नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 07/09/1987 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार वादी सं. 2 गत खसरा नं. 102/2 कुल रकबा 66 बीघा 17 बिस्वा में 26 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार काश्तकार हो गया और आज भी काबिज है।

ग्राम रूपपुरा में द्वितीय भू–प्रबन्ध संवत् 2046 में हुआ जिसमें गत खसरा नं. 102/2 रकबा 66 बीघा 17 बिस्वा के नये नम्बर 654 रकबा 5.64 हैक्टर कायम किये गये एवं गत खसरा नं. 102/1 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा के नये खसरा नं. 584 रकबा 8.58 हैक्टर, खसरा नं. 585 रकबा 2.96 हैक्टर, खसरा नं. 628 रकबा 0.25 हैक्टर कुल रकबा 11.79 हैक्टर कायम किये गये।

द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों ने वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त भूमि की बिना कब्जे की जाँच किये ही गत खसरा नं. 102/2 रकबा 66 बीघा 17 बिस्वा का रकबा कम करते हुए इस खसरे के नये नम्बर 654 रकबा 5.64 हैक्टर कायम कर दिया एवं गत खसरा नं. 102/1 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा का रकबा सेटलमेंट अधिकारी ने बढ़ाते हुए उसके नये नम्बर 584, 585, 628 कुल रकबा 11.79 हैक्टर कायम कर दिया। गत खसरा नं. 102/2 का रकबा 32 बीघा कम कर दिया एवं खसरा नं. 102/1 का रकबा 36 बीघा बढ़ा दिया जो बिना किसी अधिकार के किया गया है।

वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की कब्जा काश्त निम्न नजरी नक्शा अनुसार है :–

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

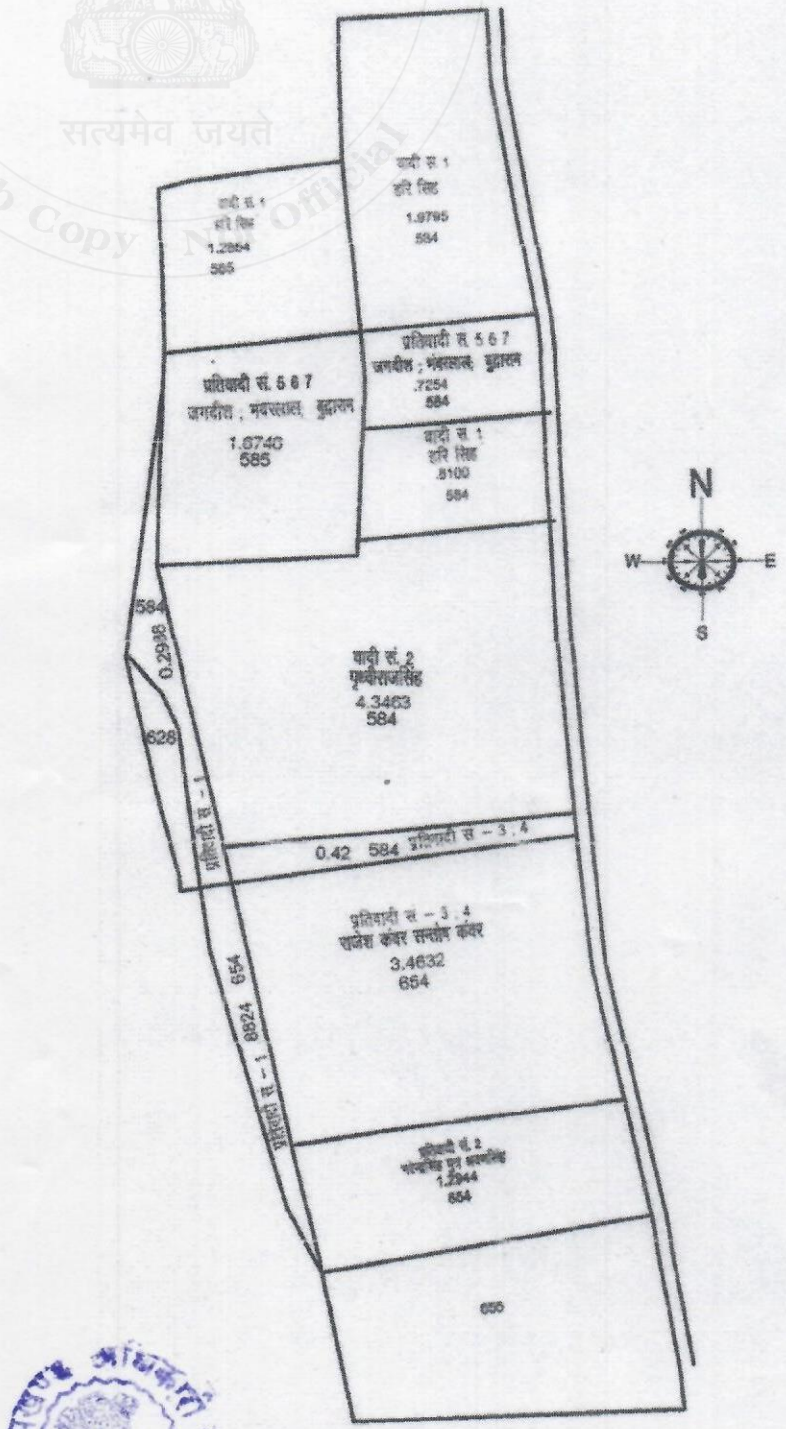

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वादी सं. 1 द्वारा अपने खातेदारी भूमि 40 बीघा अर्थात् 6.4749 हैक्टर में से 2.40 हैक्टर भूमि बेचान कर दी गई है जिसकी खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम अंकित है। इस प्रकार वादी सं. 1 आज भी 4.0749 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं वादी सं. 1 की कब्जा काश्त नजरी नक्शा वाद पत्र के पेरा सं. 7 के अनुसार खसरा नं. 584 व 585 में स्थित है।

वादी सं. 2 द्वितीय भू–प्रबन्ध से पूर्व 26 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार काश्तकार था उसके द्वारा अपनी भूमि किसी भी रूप में हस्तान्तरित नहीं की गई। वादी सं. 2 की कब्जा काश्त वाद पत्र के पेरा सं. 7 में वर्णित नजरी नक्शा अनुसार खसरा नं. 584 में रकबा 4.3463 हैक्टर पर स्थित है।

गत खसरा नं. 102 के तीन टुकड़े खसरा नं. 102, 102/1, 102/2 खतौनी में तो बना दिये गये और खतौनी में अंकन भी कर दिया गया, परन्तु राजस्व नक्शे में राजस्व अधिकारियों द्वारा गत खसरा नं. 102 के टुकड़ों का कोई अमल दरामद नहीं किया गया और राजस्व नक्शे में खसरा नं. 102 ही अंकित रहा।

वादी सं. 1 गत खसरा नं. 102/2 में 40 बीघा अर्थात् 6.4749 हैक्टर का खातेदार काश्तकार था। वादी सं. 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से 2.40 हैक्टर भूमि जरिए पंजीकृत बेचान हस्तान्तरित कर दी गई जो आज प्रतिवादी सं. 5 व 6 की खातेदारी में अंकित है। इस प्रकार वादी सं. 1 आज दिन बतौर खातेदार खसरा नं. 584 में 2.7895 हैक्टर पर व खसरा नं. 585 में रकबा 1.2854 हैक्टर पर काबिज है एवं इसी माफिक राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है एवं वादी सं. 2 गत खसरा नं. 102/2 में 26 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार काश्तकार था और आज भी खसरा नं. 584 में खातेदार की हैसियत से 4.3463 हैक्टर भूमि पर काबिज है एवं इसी माफिक अपनी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

इस्तदुआ वादीगण निम्नलिखित है :–

ग्राम रूपपुरा के खसरा नं. 584 में से 2.7895 हैक्टर व खसरा नं. 585 में 1.2854 हैक्टर का वादी सं0 1 खातेदार काश्तकार है एवं वादी सं. 2 ग्राम रूपपुरा के खसरा नं. 584 में 4.3463 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है एवं इन खसरों में से वादीगण के रकबे तक प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज फरमाया जावे तथा वादीगण का नाम ग्राम रूपपुरा के खसरा नं. 654 से हटाया जाकर खसरा नं. 584 व 585 में अंकित फरमाया जाकर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा करवाया जाकर होल्डिंग कायम की जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। दिनांक 12.10.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4 की ओर से वकील श्री अशोक पुरी ने मय वकालतनामा के जबाब मय काउन्टर क्लेम के पेश किया, शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री हनुवन्त सिंह जी राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 गैरहाजीर होने पर इकतरफा की

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हुई है। दिनांक 20.02.2018 को वकील प्रतिवादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 गैरहाजीर होने पर इकतरफा की हुई है। दिनांक 14.03.2018 को वकील श्री अशोक पुरी ने प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 7 सीपीसी की पेश की जिस पर वकील वादी ने नो ओब्जेक्शन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 12.10.2017 को प्रतिवादी संख्या 5, 6 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही मनसूख की गई। प्रतिवादी संख्या 5, 6 की ओर से जबाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया, शामिल मिसल है। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी 2 ता 6 उपस्थित होकर वाद एवं जबाब काउन्टर क्लेम अनुसार बहस सुनाते हुये सहमत होकर निवेदन किया की वाद एवं काउन्टर क्लेम अनुसार दावा निस्तारण फरमावें।

वकुलाय की बहस सुनी, वकुलाय ने अपनी बहस में वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि वादी संख्या 1 द्वारा गत खसरा सं0 102/2 रकबा 66 बीघा 17 बीस्वा में से 40 बीघा भूमि एवं वादी सं0 2 द्वारा 26 बीघा 17 बीस्वा भूमि जरिये रजिस्ट्री खरीद की थी। सेटलमेंट विभाग द्वितीय भू–प्रबंध के दौरान वादीगण के कब्जा कास्त से भिन्न खसरा सं0 654 रकबा 5.64 है0 भूमि खातेदारी दर्ज की गई जबकि वास्तव में वादीगण का कब्जा कास्त खसरा सं0 584 के रकबा 8.58 है0 में से 7.86 है0 तथा खसरा सं0 585 रकबा 2.96 है0 पर थी। वादी सं0 1 की कब्जा कास्त 6.4749 है0 पर थी एवं वादी सं0 2 की 4.3463 है0 पर कब्जाकास्त थी। वादी सं0 1 द्वारा अपनी खातेदारी कब्जासूद भूमि रकबा 6.4749 है0 में से 2.40 है0 भूमि का बेचान किया गया जो वर्तमान में प्रतिवादी सं0 5 व 6 के कब्जेकास्त में है। इस प्रकार वादी सं0 1 की भूमि 4.0749 है0 ही शेष रहती है।

वादी सं0 1 ने वाद के साथ संलग्न परिशिष्ट क के अनुसार खसरा सं0 584 रकबा 8.58 है0 में से 2.7895 है0 व खसरा सं0 585 रकबा 2.96 है0 में से 1.2854 है0 की खातेदारी चाही है जो साबित है अतः वादी सं0 1 को खसरा सं0 584 में 2.7895 है0 तथा खसरा सं0 585 में 1.2854 है0 का खातेदार घोषित फरमावें।

वादी सं0 2 वाद के साथ संलग्न परिशिष्ट क के अनुसार खसरा सं0 584 रकबा 8.58 है0 में से 4.3463 है0 की खातेदारी चाही है जो साबित है अतः वादी सं0 2 को खसरा सं0 584 में 4.3463 है0 का खातेदार घोषित फरमावें।

प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुये काउण्टर क्लैम मय परिशिष्ट क पेश है जिसमें प्रतिवादी सं0 5 व 6 ने अपनी खरीदसुदा भूमि 2.40 है0 की खातेदारी खसरा नम्बर 585 रकबा 2.96 है0 में से 1.6746 है0 व खसरा नम्बर 584 रकबा 8.58 है0 में से 0.7254 है0 का खातेदार होने की इस्तदुआ की एवं प्रतिवादी 2,3,4 ने वादीगण का दावा स्वीकार करते हुये मय काउण्टर क्लैम परिशिष्ट क के साथ पेश किया जिसमें प्रतिवादी सं0 2 की खसरा नम्बर 654 रकबा 5.64 है0 में से 1.2944 है0 का व प्रतिवादी सं0 3 व 4 का खसरा नम्बर 654 रकबा 5.64 है0

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

में से 3.4632 है0, खसरा नम्बर 584 रकबा 5.58 है0 में से 0.42 है0 का माफिक परिशिष्ट क अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित फरमावें।

बाद बहस वादी के वाद पत्र एवं संलग्न खतौनी, नामान्तकरण, खसरा मिलान, दिनांक 31.03.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि बेचान की नकल, काउण्टर क्लैम वकील प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के द्वारा पेश है का, नक्शा व परिशिष्ट क एवं काउाण्टर क्लैम प्रतिवादी सं0 2 ता 6 का अवलोकन एवं वकुलाय की बहस में किये गये कथनों का मनन करने पर ग्राम रूपपुरा टोरडा के गत खसरा नम्बर 102/2 रकबा 66 बीघा 17 बीस्वा में 40 बीघा भूमि वादी श्री हरिसिंह को एवं 26 बीघा 17 बीस्वा भूमि वादी श्री पृथ्वीराज सिंह को जरीये रजिस्टर्ड बेचान किया गया, बेचान की प्रति संलग्न है जिसका सत्यापन संलग्न खतौनी संम्वत 2033–2036 एवं नामान्तकरण में अंकित है।

खतौनी खातेदार इन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह खसरा नम्बर 102/1 रकबा 36 बीघा 19 बीस्वा अंकित है। मिलान खसरा से खसरा नम्बर 102/2 रकबा 66 बीघा 17 बीस्वा के नये खसरा नम्बर 654 रकबा 5.64 है0 ही कायम हुये है। खसरा नम्बर 102/1 का नये खसरा नम्बर 584 रकबा 8.58 है0, खसरा नम्बर 585 रकबा 2.96 है0 व खसरा नम्बर 628 रकबा 0.25 है0 कायम हो गये। इसलिए उक्त विवेचन से वादीगण का वाद काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम रूपपुरा के खसरा नम्बर 584, 585, 628, 654 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 को निम्नप्रकार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है।

वादी संख्या 1 हरिसिंह पुत्र रिधसिंह जाति राजपूत निवासी रूपपुरा को खसरा नम्बर 584 रकबा 8.58 है0 में से 2.7895 है0, खसरा नम्बर 585 रकबा 2.96 में से 1.2854 है0 का, वादी संख्या 2 पृथ्वीसिंह (पृथ्वीराजसिंह) पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी को खसरा नम्बर 584 रकबा 8.58 है0 में से 4.3463 है0 का, प्रतिवादी सं0 2 नरेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी रूपपुरा को खसरा नम्बर 654 रकबा 5.64 है0 में से 1.2944 है0 का, प्रतिवादी सं0 3 राजेश कंवर पत्नी प्रवीण सिंह एवं प्रतिवादी सं0 4 संतोष कंवर पत्नी जितेन्द्र सिंह को खसरा नम्बर 654 रकबा 5.64 है0 में से 3.4632 है0, खसरा नम्बर 584 रकबा 8.58 है0 में से 0.42 है0 का, प्रतिवादी सं0 5 जगदीश प्रसाद पुत्र प्रेमकुमार व प्रतिवादी सं0 6 भंवर लाल पुत्र बुधा राम जाति जाट को खसरा नम्बर 585 रकबा 2.96 है0 में से 1.6746 है0, खसरा नम्बर 584 रकबा 8.58 है0 में से 0.7254 है0 (2/3 जगदीश प्रसाद का व 1/3 भंवरलाल का) का, प्रतिवादी सं0 1 नरेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रसिंह को खसरा नम्बर 654 रकबा 5.64 है0 में 0.8824 है0 का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 654 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 5

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

व 6 का नाम हटाया जाता है। खसरा नम्बर 628 व 663 में प्रतिवादी सं0 2, 3 व 4 का नाम हटाया जाता है व प्रतिवादी सं0 2 का नाम खसरा नम्बर 584 व 585 में से हटाया जाता है। खसरा नम्बर 585 में प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 व 4 का नाम हटाया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा। डिक्री परचा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प डयूटी पेश होने पर तहसीलदार कुचामनसिटी को बंटवारा परिशिष्ट क के अनुसार तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 04/04/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)